15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 809539

विक्रय मूल्य –रू0 5,90,000/–

मालियत –रू0 5,88,875/–

स्टाम्प –रू0 59,000/–

परगना – लखनऊ

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – लखनऊ
3. मोहल्ला/ग्राम – घैला
4. सम्पत्ति का विवरण–आराजी खसरा संख्या–195

——2

राजविद्या

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 809540

(2)

5. मापन की इकाई –हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल–0.3365 हेक्टअर
7. सड़क की स्थितिं–(परिशिष्ट के अनुसार)– X
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)– X
9. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकनं – X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य – X
12. निर्माण का वर्ष – X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 5,90,000/– रूपये

<u>चौहद्दी</u>

पूरब	:	चक रोड बादहू भूमि खसरा संख्या–181, 182, 183
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या–197
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या–117
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या–194 व 191

——3

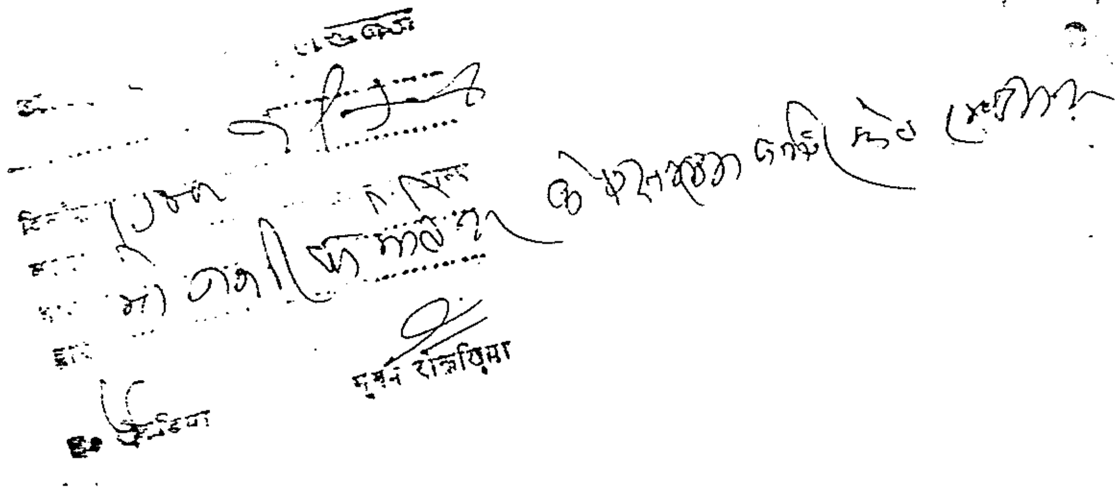

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 80954J

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

श्रीमती शोऐब फात्मा
पत्नी श्री अजीमुल इस्लाम
स्थायी व अस्थायी निवासिनी–63/180, तकिया आजमबेग, बारूदखाना, लखनऊ
व्यवसाय–गृहणी

<u>क्रेता का विवरण</u>

श्री मोहम्मद जकारिया
पुत्र श्री जेड0 एम0 फारूकी
निवासी 24, न्यू बेरी रोड, लखनऊ
व्यवसाय–व्यापार

—— 4

लखनऊ

12000

मुख्य रोकड़िया

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 416992

मनकि श्रीमती शोऐब फात्मा पत्नी श्री अजीमुल इस्लाम स्थायी व अस्थायी निवासिनी–63/180, तकिया आजमबेग, बारूदखाना, लखनऊ की हूँ :–

जो कि मैं विक्रेता भूमिधरी आराजी खसरा संख्या–195 क्षेत्रफल 0.3365 हेक्टेयर स्थित ग्राम–घैला, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक कामिल व काबिज हैं। उक्त आराजी मुझ विक्रेता ने फुरकान अली पुत्र स्व0 इजहार अली बहेसियत मुख्तारआम मिनजानिब अब्दुल कादिर पुत्र श्री हामिद अली से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 01.05.2006 के

——5

شعیب فاطم

[illegible]

[illegible] रोकड़िया

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 610725

(5)

माध्यम से क्रय किया है, जो कि उपनिबन्धक, द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय में बही संख्या–1, जिल्द–5711 के पृष्ठ–29/50 पर क्रमांक–3819 पर दिनांक 01.05.2006 को पंजीकृत है। उक्त आराजी हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि मुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता है अतः अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज

—6

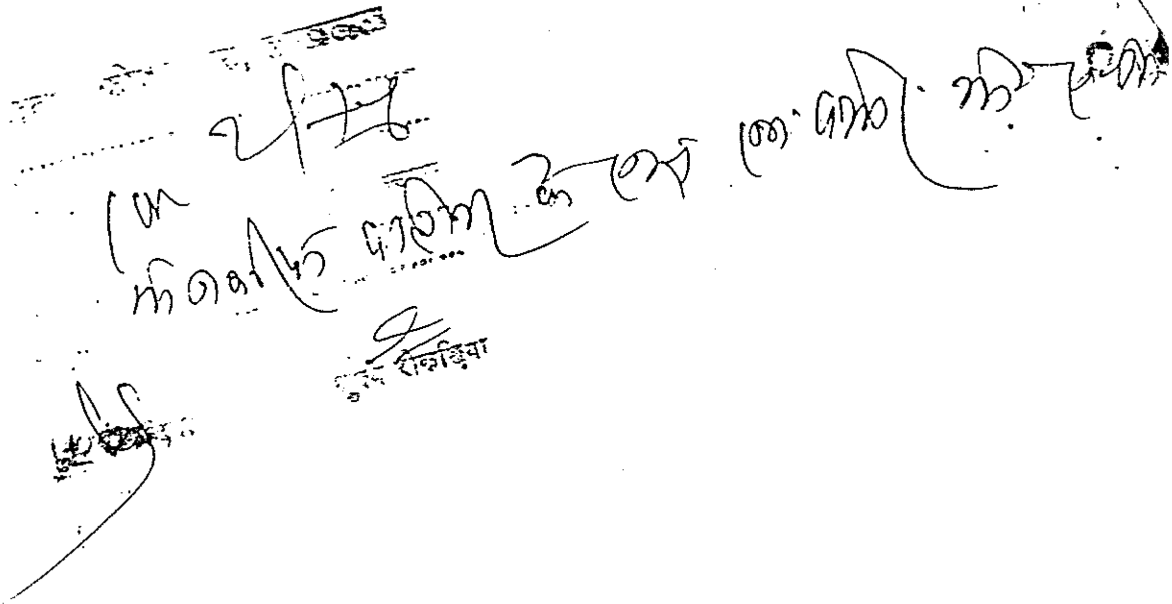

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 610724

के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बरी व पैमाइशी को बकीमती मु0 रूपया– 5,90,000/– (पॉच लाख नब्बे हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया– 2,95,000/– (दो लाख पन्चान्नवे हजार रूपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता श्री मोहम्मद जकारिया पुत्र श्री जेड0 एम0 फारूकी निवासी 24, न्यू बेरी रोड, लखनऊ के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही

—7

[illegible]

[illegible] रोजड़िया

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 61072

(7)

समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से मेरा या मेरे किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या

— 8

شعیب کاظم

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक .... क्लर्क स्टाम्प

मूल्य ....

नाम ....

द्वारा ....

स॰ कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति

—— 9

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक .... जनरल स्टाम्प

मूल्य ....

नाम ....

द्वारा ....

कोषाधिकारी

कोषाधिकारी

से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उज्रका न होगा।

विक्रेता अनुसूचित जाति की सदस्य नहीं हैं। बयशुदा आराजी लखनऊ नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है किन्तु उक्त भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम की भूमि है। उक्त ग्राम की भूमि की मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा रूपया 17,50,000/– प्रति हेक्टेअर की दर निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की कुल बाजारू मालियत मु0 5,88,875/– होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर नियमानुसार मु0 रूपया 59,000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। विक्रीत आराजी 30 फुट चौड़े मार्ग, लिंक मार्ग, राजमार्ग, जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है तथा बयशुदा आराजी उ0प्र0 आवास विकास परिषद या लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में अधिग्रहीत नहीं है और न ही प्रस्तावित है। विक्रीत भूमि के बाबत कोई भी पंजीकृत इकरार नामा बय क्रेता व विक्रेता के बीच नहीं हुआ है।

आराजी बयशुदा में कोई भी निर्माण कच्चा या पक्का नहीं है व उपरोक्त भूमि पर कोई बाग–बगीचा, पेड़, ट्यूबवेल, कुआं आदि नहीं है तथा आराजी बयशुदा कृषि है तथा वर्तमान में कृषि हो रही है व कागजात सरकारी में कृषि

شعیب فاطم

दर्ज है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है।

लिहाजा यह **बैनामा** रूबरू गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ्य चित्त मन से विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमिधरी **खसरा संख्या–195 क्षेत्रफल 0.3365 हेक्टेयर स्थित ग्राम–धैला, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।**

चौहद्दी खसरा संख्या–195

पूरब	:	चक रोड बादहू भूमि खसरा संख्या–181, 182, 183
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या–197
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या–117
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या–194 व 191

तफसील वसलूयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य **रूपया 5,90,000/– (पाँच लाख नब्बे हजार रूपया मात्र)** विक्रेता ने क्रेता से चेक संख्या–037314 दिनांकित 25.7.2006 जारी द्वारा आई.सी.आई.सी.

—– 11

شعیب کاظم

Kallare

विक्रय पत्र

590,000.00/	589,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

~~श्री~~ श्रीमती शोएब फात्मा
~~पुत्र~~ पत्नी श्री अजीबुल इस्लाम
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी 63/180,तकिया आजमबेग,लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/8/2006 समय 4:10PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/8/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
~~श्री~~/श्रीमती शोएब फात्मा
~~पुत्र~~/पत्नी श्री अजीबुल इस्लाम
पेशा गृहिणी
निवासी 63/180,तकिया आजमबेग,लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती मो.जकारिया
पुत्र/पत्नी श्री जेड एम.फारुकी
पेशा व्यापार
निवासी 24,न्यू बेरी रोड,लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री रजनीश कुमार शर्मा
पुत्र श्री वी.एन.शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी 166,कटरा बिजनबेग चौपटिया,लखनऊ
व श्री एस.के.श्रीवास्तव
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी हाईकोर्ट,लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
19/8/2006

आई. बैंक लि0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त कर लिया। अब कोई भी धनराशि विक्रीत भूमि से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा।

शुऐब काज़िम

लखनऊ

दिनांक : 30.07.2006

ह0 विक्रेता

1. गवाह : Rajnish Kr Sharma
S/o V.N. Sharma

पता : 166, Katra Bizan Beg, Choupatian, Lko.

ह0 क्रेता

2. गवाह :

पता :

टाइपकर्ता
(सुनील श्रीवास्तव)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता
P.N.S.
(पी0एन0श्रीवास्तव)
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ।

विक्रेता

Registration No 7703 Year : 2006 Book No. 1

0101 शोऐब फात्मा

अन्जामुल इस्लाम

63/180,तकिया आजमबेग,लखनऊ

गृहिणी

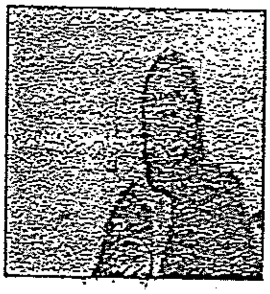

खसरा नम्बर 121क, 123, 178,195 स्थित ग्राम घैला परगना तहसील व जिला लखनऊ की दो सौ मीटर की त्रिज्या से आने वाली अचल सम्पत्ति का नजरी नक्शा जिसमें कोई निर्माण कच्चा व पक्का, नलकूप, कुआँ बोरिंग पंप नहीं है।

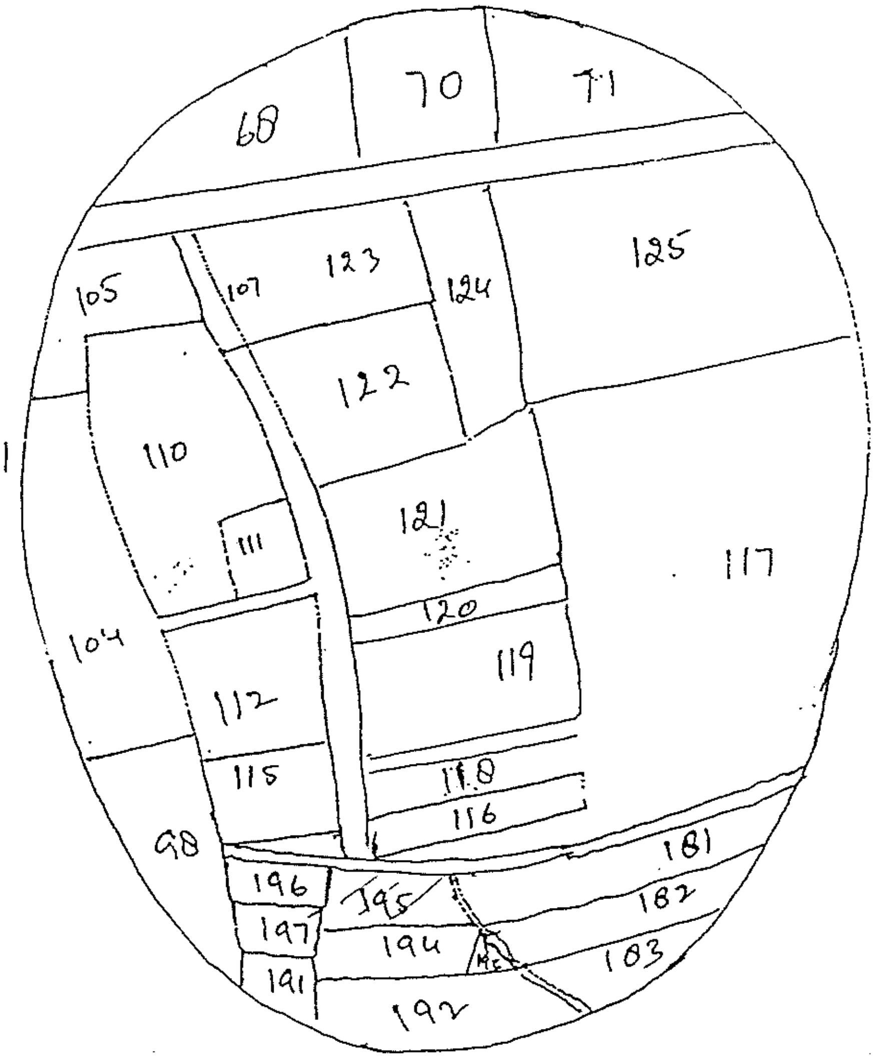

شعیب کاظم

क्रेता

Registration No. 7703 Year : 2006 Book No. 1

0201 मो.जकारिया
जेड एम.फारुकी
24,न्यू बेरी रोड,लखनऊ
व्यापार

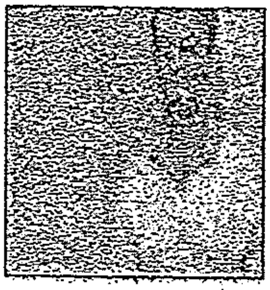

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन

हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- श्रीमती शोएल फातमा पत्नी श्री अजीजुल इस्लाम [illegible] तकिया आजम बेग, लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

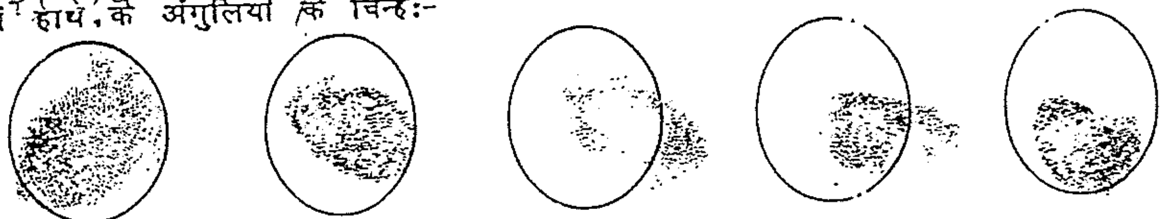

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

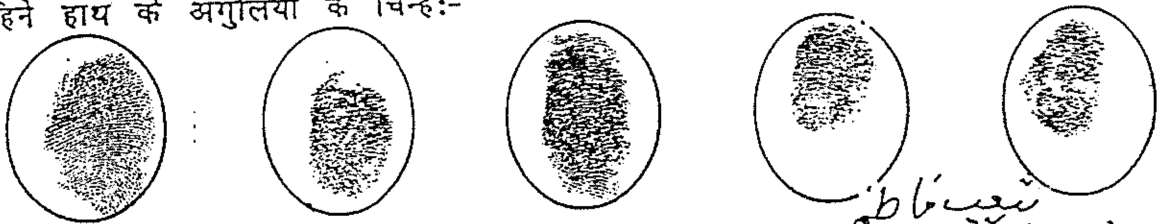

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता, के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:- मोहम्मद [illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

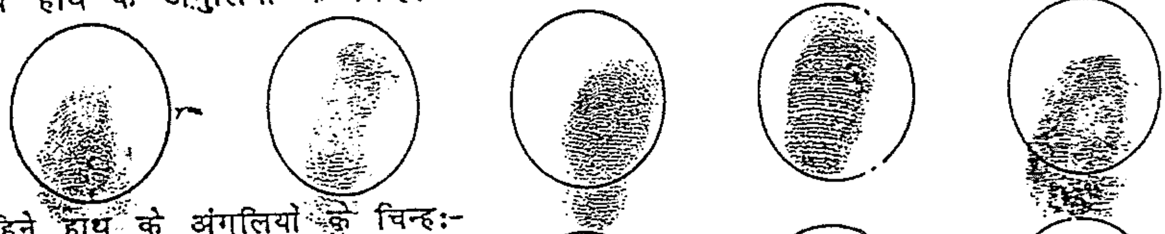

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

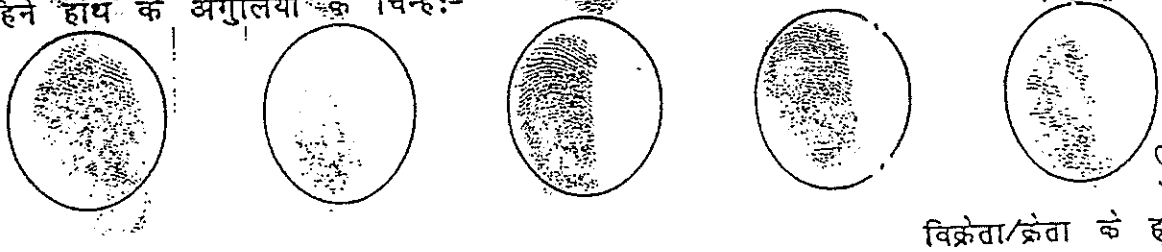

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:-

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 19/08/2006 को

वही सं 1 जिल्द सं 5980

पृष्ठ सं. 55 से 80 पर क्रमांक 7703

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

19/8/2006